गोपाल

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

अक्टूबर 12, 2007

[डॉ. अरिजीत पासायत और लोकेश्वर सिंह पाटा, जे.जे.]

दण्ड़ संहिता, 1860 य भाग 300 का अपवाद 4, धारा 302 और 302 भाग-1 - हत्या की श्रेणी में ना आने वाले आपराधिक मानव वध-पति-पत्नी के मध्य झगड़ा-पति द्वारा पत्नी पर लकडी के लट्ठ से बच्चो की उपस्थिति में हमला किया जाना-पत्नी के चोट के कारण अस्पताल में दम तोड़ना-एफ.आई.आर-अनुसंधान-आरोपपत्र-विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता में अपराध कारित करने पर दोषसिद्ध पाया गया एवं तद्नुसार सजा सुनाई गई-उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई-अपील में यह दिया गया कि धारा 300 भारतीय दण्ड संहिता के अपवाद 4 में मामला लाये जाने के लिए सभी तत्व उसमें मौजूद होने चाहिए-यह काफी नहीं है कि मामलों में अचानक झगड़ा हुआ था एवं पूर्व चिंतन नहीं था-इसी के साथ यह भी दर्षाया जाना आवश्यक है कि अपराधी द्वारा कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया और क्रूर व असामान्य

तरीके से कृत्य किया-तथ्य एवं परिस्थितियों के कारण मामला धारा 300 भारतीय दण्ड संहिता के अपवाद 4 में पाया गया-इसलिए दोषसिद्धि धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता को धारा 304 भारतीय दण्ड संहिता के अपवाद 4 के भाग-1 में परिवर्तित किया अभिरक्षा की सजा को 10 साल में परिवर्तित किया गया।

शब्द और वाक्यांशः अचानक लडाई और अनुचित लाभ-भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के संदर्भ में अर्थ।

दुर्भाग्यपूर्ण दिन, अपीलार्थी-पति और मृत पत्नी उनके बच्चो, पी.डब्ल्यू. 4 और पी.डब्ल्यू. 5 की उपस्थिति में झगड़ा कर रहे थे, अपीलार्थी ने मृतक के सर पर लकड़ी से हमला किया जिसके परिणामस्वरूप उसे खून बहने लगा और चोटे आई। पी.डब्ल्यू. 4 ने भागकर पी.डब्ल्यू. 1 नानी को बुलाया, पी.डब्ल्यू. 1 को देखकर अपीलार्थी घर से भाग गया। मृतक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी चोटो के कारण उसने दम तोड़ दिया। पी.डब्ल्यू. 1 ने पुलिस में षिकायत दर्ज कराई। पुलिस द्वारा एक मुकदमा अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता अपराध कारित किये जाने का दर्ज किया गया। अनुसंधान बाद, आरोप पत्र पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध पेष किया गया। जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड़ संहिता के अपराध करने पर दोषसिद्ध पाया गया और

उसे तद्नुसार सजा सुनाई गई। अपील उच्च न्यायालय के समक्ष पेष की गई जिसे खारिज किया गया इसलिए यह अपील न्यायालय के समक्ष पेष है।

अभियुक्त-अपीलार्थी। ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के संस्करण अनुसार, प्रहार अचानक हुई लडाई के दौरान किया गया था एवं लकड़ी के लट्ठ से प्रहार किया गया था, धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता लागू नहीं होती, एवं अपवाद 4 धारा 300 भारतीय दण्ड संहिता लागू होती है।

आंशिक रूप से अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय द्वारा दिया गया।

1.1 धारा 300 भारतीय दण्ड संहिता के अपवाद 4 लागू में लाये जाने के लिए यह स्थापित किया जाना आवष्यक है कि कृत्य बिना पूर्व चिंतन के अचानक झगडा जनित आवेष की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्व चिंतन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाये बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किये बिना किया गया हो। (पैरा 9, 178-ए-बी)

1.2 अपवाद 4 धारा 300 भारतीय दण्ड संहिता में वह कृत्य शामिल होते है जो अचानक लड़ाई में हो। उक्त अपवाद अभियोजन के उन मामलो के संबंध में है जो कि प्रथम अपवाद अन्तर्गत नहीं आते जिन्हें उस जगह रखा जाना ज्यादा सही है। अपवाद समान सिद्धान्तों पर आधारित है,

चूंकि दोनों में पूर्व चिंतन का अभाव होता है। परंतु जहां अपवाद एक में पूर्णतः आत्म नियन्त्रण का अभाव होता है वहीं अपवाद 4 में मात्र वे ही आवेष तीव्रता होती है जिसके कारण मानव शांत मन के तर्क पर परछाई छा जाती है और ऐसे कार्य के लिए उत्प्रेरित होता है जो वह अन्यथा नहीं करता। (पैरा 10, 178-सी-डी,)

1.3 अपवाद 4 उन मामलो के संबंध में है जिनमें भले ही किसी भी पक्ष ने एक प्रहार किया हो या विवाद की शुरूआत में उकसाया हो या अन्य किसी भी तरीके से झगड़ा शुरू हुआ परन्तु फिर भी दोनों पक्षों का आगे का आचरण उन्हें अपराध दोषसिद्ध के संबंध में समान आधार/स्तर पर रखता है। एक अचानक लड़ाई का अर्थ आपसी उकसावे और दोनों पक्षों का एक-दूसरे पर प्रहार होता है। तब उक्त हत्या स्पष्ट रूप से एक तरफे उत्प्रेरण/उकसावा के बिन्दु तक नहीं जाती ना ही ऐसे मामलो में पूरा दोष एकतरफा डाला जाता है। यदि ऐसा होता है तो अपवाद जो लागू होता वह अपवाद प्रथम अधिक उचित होगा। (पैरा 10, 79-डी-एफ,)

1.4 अपवाद 4 का बचाव तब लिया जा सकता है यदि मृत्यु बिना पूर्व चिंतन, (इ) अचानक झगडा य (ब) बिना अनुचित लाभ उठायेगा क्रूरता या असामान्य तरीके से और (क) झगडा उसी व्यक्ति के साथ हुआ जिसकी मृत्यु हुई हो। अपवाद 4 को लागू में लाये जाने के लिए सभी तत्व आवश्यक रूप से पाये जाने चाहिए। (पैरा 10, 178-जी-एच य 179-ए,)

1.5 एक लड़ाई दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संग्राम होता है हथियारो के साथ या हथियारों के बिना। किसी भी सामान्य नियम का उच्चारण करना संभव नहीं है कि अचानक झगड़ा क्या माना जाये। यह तथ्य का प्रश्न होता है और क्या झगड़ा अचानक है या नहीं है यह आवश्यक रूप से प्रत्येक मामले में सिद्ध तथ्य पर निर्भर करता है। (पैरा 10, 179-बी-सी,)

1.6 अपवाद 4 के लिए यह पर्याप्त नहीं है कि अचानक झगडा हुआ और कोई पूर्व चिंतन नहीं था। यह आगे दिखाया जाना आवश्यक है कि अपराधी ने अनुचित लाभ नहीं लिया,क्रूरता या असामान्य तरीके से कृत्य नहीं किया। अभिव्यक्ति प्रावधान में उपयोग में लिये गये अनुचित लाभ का अर्थ है अन्यायपूर्ण लाभ/छली लाभ है।(पैरा 10, ख्179-सी-डी,)

2. जब तथ्यात्मक परिस्थितियों को कानूनी सिद्धान्तों के प्रकाश में देखा जाये निश्चित रूप से निष्कर्ष निकलता है कि अपवाद 4 धारा 300 भारतीय दण्ड संहिता इन तथ्यों पर लागू होती है। इसलिए दोषसिद्धि 304 भाग 1 भारतीय दण्ड संहिता में बनता है ना कि धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता में। दोषसिद्धि को तद्नुसार परिवर्तन किया गया। अभिरक्षा में दस साल न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा। (पैरा 10 और 11, 179-डी-ई,)

धीरज भाई गोरख भाई नायक बनाम गुजरात राज्य, (2003) 5 सर्वोच्च 223,

आपराधिक अपील न्यायालय क्षेत्राधिकार और आपराधिक अपील संख्या 1428/2007

बॉम्बे उच्च न्यायालय, बैंच औरंगाबाद द्वारा दिये गये निर्णय एवं अंतिम आदेश दिनांक 25.01.2005, आपराधिक अपील संख्या 541/2003 के संबंध में।

जी. प्रकाश अपीलार्थी की तरफ से।

रविन्द्र केशवराव प्रतिवादी की तरफ से ।

निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत जे. द्वारा दिया गया।

1. अनुमति दी।

2. धारा 302 भारतीय दण्ड़ संहिता में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त-अपीलांट की दोषसिद्धि के निर्णय को इस अपील द्वारा चुनौती दी गई है।

3. संक्षेप में पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार है परिधारी नाथ (पी.डब्ल्यू. 7) एम.आई.डी.सी. पुलिस थाना में पदस्थापित पी.एस.आई. द्वारा शिकायतकर्ता सुमनबाई (पी.डब्ल्यू. 1) की 15 जून, 2002 को शिकायत दर्ज की गई। उक्त शिकायत के आधार पर अपराध अपकम बतपउम छवण् 136 व ि2002ए अन्तर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता दर्ज की गई। मृतक देवकाबाई (आगे मृतक से संबोधित है) के मृत शरीर का मृत्यु

पंचनामा सुनन्दा (पी.डब्ल्यू. 2) की उपस्थिति में बनाया गया। मृत के शरीर को परीक्षण के लिए भेजा गया एवं पोस्टमार्टम डॉ. चौधरी (पी.डब्ल्यू. 6) द्वारा किया गया। डॉ. चौधरी के अनुसार मृत्यु का कारण सिर में लगी चोट झटके के कारण आना बताया गया। पी.एस. 1. पंधारीनाथ वैद्य द्वारा इसके बाद अपराध का फर्द नक्शा पंचनामा संजय (पी.डब्ल्यू. 3) की उपस्थिति में बनाया और अपराध कारित करने वाली जगह से लकड़ी के लट्ठ, कंट्रोल मिट्टी और रक्त में मिश्रित मिट्टी को फर्द जब्त किया। बाद इसके उसके द्वारा मृतक देवकाबाई के नाबालिग पुत्र राहुल (पी.डब्ल्यू. 4) और सुनील (पी.डब्ल्यू. 5) के बयान दर्ज किये गये। मृतक के शरीर के कपड़ो को भी जरिये फर्द पंचनामा जब्त किया गया। अपीलांट को गिरफ्तार किया और फर्द गिरफ्तारी बनाई गई। अपीलांट के द्वारा पहने हुए कपड़ो को भी जब्त किया और आर्टिकल संख्या 5 और 6 अंकित किया। जब्त संपत्ति को रसायन विभाग को औरंगाबाद भेजा गया। अनुसंधान के पूर्ण होने पर आरोप पत्र अपीलांट के विरूद्ध पेश किया गया।

अभियोजन संस्करण इस प्रकार है कि अपीलार्थी एवं मृतका देवकाबाई के पुत्र राहुल (पी.डब्ल्यू. 4) द्वारा यह कथन किया गया कि अपीलांट बेरोजगार था एवं शराब का आदी था और कई बार वह देवकाबाई के साथ झगड़ा करता था। राहुल (पी.डब्ल्यू. 1) अपने भाई सुनील (पी.डब्ल्यू. 5) के साथ सो रहा था। देवकाबाई और अपीलांट के बीच हो रहे

झगडे की आवाज सुनकर उठा। उसके अनुसार उस समय उसकी मां खाना बना रही थी एवं रोटियां पका रही थी। अपीलांट द्वारा उसके सिर पर लकड़ी के लट्ठ से मारा गया। उस कारण चोट लगी और खून बहने लगा। उसके अनुसार उसके बाद वह अपनी नानी (पी.डब्ल्यू. 1) के पास गया। उसने घटनाक्रम उसे सुनाया और तुरन्त घर आया। सुमनबाई (पी.डब्ल्यू. 1) को देखकर अपीलांट घर से भाग गया। आर्टिकल 3 लकड़ी का लट्ठ अपराध करने वाली जगह से पाया गया। उसने देखा कि उसकी मां देवकाबाई के सिर पर दो खून की चोटे थी। देवकाबाई को अस्पताल में सुमनबाई (पी.डब्ल्यू. 1) द्वारा ले जाया गया। देवकाबाई द्वारा चोटो के कारण अस्पताल में दम तोड़ दिया।

5. सैशन न्यायालय में मामला कमिट होने के बाद विचारण न्यायालय द्वारा आरोप अन्तर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता में दण्ड़नीय अपीलांट के विरूद्ध विरचित किये गये। अपीलांट द्वारा दोषी होने से इंकार कर अन्वीक्षा चाही। अभियोजन द्वारा आरोप के समर्थन में 8 गवाह परीक्षित करवाये। विचारण न्यायालय द्वारा दो चश्मदीद गवाह राहुल (पी.डब्ल्यू. 4) व सुनील (पी.डब्ल्यू. 5) की साक्ष्य को स्वीकार किया एवं दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त को सजा सुनाई।

6. उच्च न्यायालय के समक्ष आरोपी अपीलांट ने तर्क दिया कि 04 व 05 के साक्ष्य जो कि बाल गवाह थे, को स्वीकार नहीं किया जा

सकता है। किसी भी परिस्थितियों में अपराध धारा 302 आईपीसी के अंतर्गत नहीं आता है। राज्य द्वारा विचारणीय न्यायालय द्वारा दिए दोषसिद्धि के फैसले का समर्थन करते हुए इस याचिका का विरोध किया। जैसा कि उपर बताया गया है कि अपील को खारिज किया गया।

7. उच्च न्यायालय समक्ष किए गए रूख को दौहराया गया। अपीलांट के अनुसार अभियोजन पक्ष को संपूर्ण रूप से स्वीकार किया जाए, तब यह पता चलता है कि अचानक झगड़े के दौरान व लकड़ी के टुकड़ों से ही वार किया गया था, इसलिए धारा 302 आईपीसी लागू नहीं होती है एवं धारा 300 अपवाद 04 लागू होता है।

8. राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन किया।

9. धारा 300 आईपीसी के अपवाद 4 को लागू करने के लिए यह स्थापित किया जाना आवश्यक है कि कृत्य बिना पूर्व चिंतन के अचानक झगडा जनित आवेष की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्व चिंतन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाये बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किये बिना किया गया हो।

10. धारा 300 आईपीसी के अपवाद 4 द्वारा अचानक हुए झगड़े में किए गए कृत्यों को शामिल किया गया है। यह अपवाद अभियोजन पक्ष के उन मामलों को शामिल करता है, जो प्रथम अपवाद में शामिल नहीं

होते हैं, जहां यह ज्यादा सही है। अपवाद समान सिद्धांत पर आधारित है, दोनों में ही पूर्व चिंतन का अभाव होता है। लेकिन जहां अपवाद प्रथम में आत्मनियंत्रण का पूर्ण रूप से अभाव होता है वहीं अपवाद 04 में मात्र वो ही आवेश की तीव्रता होती है जिसके कारण मनुष्य के शांत मस्तिष्क के तर्कों पर परछाई छा जाती है और ऐसा कार्य करने के लिए उत्प्रेरित होता है, जिन्हें वह अन्यथा नहीं करता। अपवाद 04 जैसे ही अपवाद प्रथम में उकसाना आता है, परंतु कृत्य के कारण आई चोट सीधे उकसाने का परिणाम नहीं होती है। अपवाद 04 उन मामलों के संबंध में है, जिनमें भले ही किसी पक्ष ने एक प्रहार किया हो या विवाद के शुरूआत में उकसाया हो या अन्य किसी भी तरीके से झगड़ा शुरू हुआ हो, परंतु फिर भी दोनो पक्षो के आगे का आचरण उन्हें अपराध के संबंध में समान आधार/ स्तर पर रखता है। एक अचानक लड़ाई का अर्थ है आपसी उकसावे और दोनों पक्षों पर एक-दूसरे का प्रहार होता है। तब उक्त हत्या स्पष्ट रूप से एक तरफ से उकसाने तक नहीं जाता, न ही ऐसे मामलों में तब दोष एकतरफा डाला जाता है। यदि ऐसा होता है तो अपवाद जो लागू होता वह अपवाद प्रथम अधिक उचित होगा। यहां पर पूर्व चिंतन या विचार या दृढ़ संकल्प झगड़े के लिए नहीं है। अचानक लड़ाई में दोनों ही पक्ष अधिक और कम जिम्मेदार होते हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी एक पक्ष ने झगड़े को शुरू किया हो, परंतु यदि दूसरा पक्ष अपने कृत्य से उसे नहीं बढ़ाया होता तो मामला गंभीर नहीं होता। वहां पर आपसी उकसावे व उत्तेजना होती है और

यह मुश्किल होता है कि किसका उस झगड़े के संबंध में कितना हिस्सा दोषसिद्धि के लिए रहा हो। अपवाद 04 की सहायता पूरी ली जा सकती है, जब मृत्यु का कारण। बिना पूर्व चिंतन का अभाव, ठण् अचानक लड़ाई, ब्ण् बिना अपराध द्वारा अनिश्चित लाभ उठाया या क्रूर व असामान्य तरीके से कार्य किया होना, क्ण् लड़ाई उसी व्यक्ति से हुई हो जिसकी मृत्यु कारित हुई हो। अपवाद 04 के लिए सभी सामग्री का साबित किया जाना आवश्यक होता है। यह अंकित करना आवश्यक है कि अपवाद 04 धारा 300 आईपीसी में शब्द लड़ाई आईपीसी में परिभाषित नहीं है। झगडे/लडाई में दो व्यक्ति का शामिल होना आवष्यक होता है। आवेश की तीव्रता के लिए आवश्यक है कि आवेश के शांत होने का समय न हो और इस मामले में पक्षकारों ने शुरूआत में मौखिक विवाद के कारण खुद को क्रोधित कर लिया था। लड़ाई दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में हुआ संग्राम होता है, जो हथियार के साथ या हथियार बिना होता है। यह संभव नहीं है एक सामान्य परिभाषा का उच्चारण करना कि कौन सा झगड़ा अचानक झगड़ा होता है। यह तथ्यों का प्रश्न होता है एवं क्या एक झगड़ा अचानक हुआ है या नहीं यह पूरा हर एक मामले के सिद्ध तथ्यों पर निर्भर करता है। अपवाद 04 को लागू करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है कि अचानक झगड़ा हुआ एवं पूर्व चिंतन नहीं हो। आगे यह भी दर्शाना बहुत आवश्यक है कि अपराधी द्वारा कोई भी अनुचित लाभ नहीं उठाया हुआ हो और न ही कृत्य क्रूर या असामान्य तरीके से किया हो। उक्त धारा में उपयोग में

लिया गया शब्द अनुचित लाभ का अर्थ अन्याय लाभ/छली लाभ होता है। यह तथ्य धीरजभाई गोरखभाई नायक बनाम गुजरात राज्य, (2003) 4 सुप्रीम 223 में अंकित किए। जब कानूनी सिद्धांतों के प्रकाश में तथ्यों पर विचारण किया जाता है तो निश्चित रूप से यही परिणाम है कि अपवाद 04 धारा 300 आईपीसी मामले के इन तथ्यों पर लागू होती है।

11. उक्त सिद्धांतों के प्रकाश में दोषसिद्ध धारा 304 भाग 01 आईपीसी में बनना पाया जाता है, न कि 302 आईपीसी। दोषसिद्धि तद्अनुसार परिवर्तित की गई। 10 साल की सजा न्याय के उद्देष्य को पूरा करेगा। अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुमन मीणा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।